



## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ अरण्य भवन, सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नया रायपुर — 492002 (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक — भू—प्रबंध)

दूरभाषः 0771 — 2512840

ई — मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू—प्रबंध/विद्युत/479—142/6/19

रायपुर, दिनांक <sup>26</sup>/02/2018

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

भारत सरकार — पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय — वेस्ट सेन्ट्रल रीजन ईस्टर्न विंग — भू तल न्यू सेक्रेटेरियेट भवन — VCA स्टेडियम के सामने

सिविल लाईन, नागपुर – 440001

विषय:--

Diversion of 22.182 Ha of forest land in favour of Director, Chhattisgarh WR Transmission Limited for construction of 765 KV S/C Champa – Dharamjaygarh Transmission line under The Forest Conservation Act 1980 in Janjgir and Baloda District in the State of Chhattisgarh.

पंजीयन क्रमांक/ FP/CH/TRANS/18820/2016

संदर्भः 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर का पत्र क्र/ FC-II/CH-69/2017-NGP/ 2559 दिनांक 21.09.2017

2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक अधि/ 272 दिनांक 05.02.2018

-00-

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर के संदर्भित पत्र —1 द्वारा जांजगीर—चापा एवं धरमयंजगढ़ वन मण्डल अंतर्गत प्रस्तावित 765 kV S/C form Champa — Dharamjaygarh Transmission line निर्माण हेतु 22.182 है. वन क्षेत्र में गैर वानिकी उपयोग हेतु Director, WR Transmission Limited Ahmdabad को वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

संदर्भित पत्र –2 के माध्यम से प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर

वृत्त द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो निम्नानसार है:—

S.no	Conditions laid down by Central Government	Compliance Status
(9)	The legal status of the forest land shall	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।
(i)	remain unchanged	(अनुलग्नक–1)
	Compensatory afforestation over non-forest	आवेदित वन भूमि 22.182 हे. के विरूद्ध 28.749 हे.
	land, equal in extent to the forest land being diverted, shall be raised and maintained by	निजी भूमि में रू. 1,83,93,825/— क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
710	the State Forest Department at the cost of the	हेतु वर्तमान मजदूरी दर के अनुसार नवीन दर से कुल
(ii)	User Agency;	राशि रू. 1,83,93,825/—कैम्पा मद में जमा किया गया
		है। वेब जेनरेटेड भुगतान पंत्रक से इसकी पुष्टि होती
		है। (अनुलग्नक—2)
(iii)	The land identified for the purpose of CA	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को 1:50000
	shall be clearly depicted on a Survey of India toposheet of 1:50,000 scale;	स्केल के टोपोशीट में चिन्हांकित कर संलग्न है।
		(अनुलग्नक–3)
(iv)	The non-forest land identified for raising	आवेदित वन भूमि 22.182 हे. के विरूद्ध 28.749 हे.
	compensatory afforestation shall be transferred and mutated in favor of the State Forest	निजी भूमि का नामांतरण छ.ग. शासन, वन विभाग के
	Department before issue of the Stage-II	नाम में किया जा चुका है जिससे संबंधित अभिलेख
	clearance;	संलग्न है। <b>(अनुलग्नक</b> —2A)





(v)	The non-forest land transferred and mutated in favour of the State Forest Department shall be notified by the State Government as RF under Section-4 or PF under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest Act, latest within a period of six months from the date of issue of Stage-II approval. The Nodal Officer shall report compliance in this regard along with a copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant sections of the local Forest Act, as the case may be, within the stipulated period to the Central Government	आवेदित वन भूमि 22.182 हे. के विरूद्ध 28.749 हे. निजी भूमि को भारतीय वन अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन से संबंधित कार्यवाही शर्त के अनुसार द्वितीय चरण की स्वीकृति के बाद 6 माह के भीतर की जानी है जिसकी तैयारी की जा रही है। (अनुलग्नक—4)
(vi)	for information and record;  The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	आवेदित वन भूमि 22.182 हे. के विरूद्ध 28.749 हे. निजी भूमि में रू. 1,83,93,825/— क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वर्तमान मजदूरी दर के अनुसार नवीन दर से कुल राशि रू. 1,83,93,825/—कैम्पा मद में जमा किया गया है। वेब जेनरेटेड भुगतान पत्रक से इसकी पुष्टि होती है।
(vii)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007 -FC dated 05.02.2009 in this regard;	आवेदक संस्थान द्वारा वनमण्डलाधिकारी के मांग के अनुसार प्रत्याशा शुल्क की राशि Rs 1.61.10.373/- का भुगतान किया गया है। वेब जेनरेटेड भुगतान पत्रक से इसकी पुष्टि होती हैं।
(viii)	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	आवेदक संस्थान द्वारा सहमित दी गयी है। (अनुलग्नक–5)
(ix)	All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration / demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc CAMPA in the Saving Bank Account pertaining to the State concerned;	आवेदक संस्थान द्वारा जमा की गई समस्त राशि रू. 3,45,04,198 / — कैम्पा भद में जमा की गई है। वेब जेनरेटेड भुगतान पत्रक से इसकी पुष्टि होती है।
(x)	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	आवश्यकता नहीं।
(xi)	No approach road shall be constructed in the forest area for transportation of steel and	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है। (अनुलग्नक—6)
- 14 -Letter Poy	wer Palan Prilivadan 2018 (1)	

-			
		other material required for the transmission	
		line. As far as possible the User Agency	· .
		shall use the existing road and the proposed	
		ROW for the transportation of the material	·
		and in the event of non-availability of such	
		facilities, the User Agency shall transport	
		material manually without construction of	
		any path	
(	(xii)	No labour camp shall be established on the	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।
(	(AH)	forest land;	(अन्लग्नक—7)
		The User Agency shall provide firewood	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।
		preferably alternate fuels to the labourers and	(अनुलग्नक–8)
· (	(xiii)	the staff working at the site so as to avoid	(0.361.14)-0)
. (	(АПП)		
		any damage and pressure on the nearby	
		forest areas;	
		The boundary of the diverted forest land	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।
		shall be demarcated on ground at the project	(अनुलग्नक—9)
(-	(xiv)	cost, by erecting four feet high reinforced	
ξ.	AIV	cement concrete pillars, each inscribed with	
		its serial number, forward and back bearing	
		and distance from pillar to pillar;	
		The forest land shall not be used for any	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।
(	(xv)	purpose other than that specified in the	
(	(AV)		(अनुलग्नक—10)
		proposal	
		The User Agency shall ensure that because	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।
(2	(xvi)	of this project, no damage is caused to the	(अनुलग्नक—11)
		wildlife available in the area;	
To pay the second		Comments of the PCCF (Wildlife) on the	वन मंडलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव में पूर्व में उल्लेख
		impact of the project on the schedule-I	किया गया था कि क्षेत्र में rare & endangered
·		species and recommendations, if any,	wildlife species नहीं है। आवेदक संस्थान द्वारा
(v	xvii)	suggested by the PCCF (Wildlife),	वचन पत्र दिया गया है कि प्रधान मुख्य वन
(2)		Chhattisgarh shall be implemented by the	संरक्षक वन्य प्राणी द्वारा यदि कोई निर्देश दिये
vi.		User Agency at the project cost;	
		Fregress, and project tees,	जाते है तो उनका पालन किया जायेगा।
			(अनुलग्नक—11A)
	1.4	The User agency, if required, shall undertake	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है।
	viii)	comprehensive soil conservation measures at	(अनुलग्नक—12)
(X	rain)	the project cost in consultation with the State	,
	Popular	Forest Department	
	:	Width of right of way for the transmission	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।
(2	xix)	fine shall be limited to 67 meters;	
<u> </u>			(अनुलग्नक–12A)
	, ,	The layout plan of the proposal shall not be	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।
()	$(\mathbf{x}\mathbf{x})$	changed without the prior approval of the	(अनुलग्नक—12B)
		Central Government.	
		The forest land proposed to be diverted shall	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।
		under no circumstances be transferred to any	(अन्लग्नक—13)
(2	xxi)	other agency, department or person without	(13.11.10)
	]	prior approval of the Central Government;	
		The user agency shall install circuit breakers	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।
		at suitable places besides maintain necessary	
(x	xxii)	·	(अनुलग्नक—14)
	. [	groundelearance to prevent electrocution of	
and the second s	i	wild animals;	
		Any tree felling shall be done only when it is	आवेदक संस्थान द्वारा सहमित दी गयी है।
(x:	(xiii)	unavoidable and that too under strict	(अनुलग्नक—15)
		supervision of the State Forest Department;	
		er Palan Pritivadan 2018 (1)	11

	To minimize the felling for construction of	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।
(xiv)	transmission line, user agency shall comply	(अनुलग्नक-16)
	with the following guidelines:	
	(a) Below each conductor, width clearance	•
	of 10 meters would be permitted for carrying	
	the tension stringing equipment. The trees on	
	such strips may be felled but after stringing	
	work is completed, the natural regeneration will be allowed to come up.	
	(b) One outer strip may be left clear to permit	·
	maintenance of the transmission line;	
	(c) In the remaining width the right of way	
	felling/pollarding/pruning of trees will be	•
	done with the permission of the local forest	.z*
	officer whenever necessary to maintain the	
	electrical clearance, trees shall be allowed to	
	be felled or lopped to the extent required, for	
	preventing electrical hazards by maintaining the minimum 9.0 meter clearance between	./ #
	conductors and trees. The sag and swing of	
	the conductors are to be kept in view while	
	working out the minimum clearance	
	mentioned as above;	
	(d) User agency in consultation with the State	
	Forest Department prepare a detailed scheme	
	for creation and maintenance of plantation of	
•	dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line,	
	and provide funds for execution of the said	
	scheme to the State Forest Department; and	
	(e) In case a portion of the transmission lines to	
	be constructed is located in hilly areas,	
	where adequate clearance is already	
	available, trees shall not be cut;	
	The user agency in consultation with the	
	State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna,	, ,
	whose nesting trees are to be cleared in this	लाख जमा करने का वचन पत्र दिया गया है साथ
(very)	project. Bird's nests artificially made out of	ही यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होती है
(XXV)	eco-friendly material shall be used in the	तब उसे भी अदा करने का वचन दिया गया है।
	area, including forest area and human	एवीफौना रिपोर्ट और वचन पत्र संलग्न है।
	settlements, adjoining the forest area being	(अनुलग्नक— 17)
	diverted for the project;	
	The State Government shall ensure that	कलेक्टर जॉजगीर चांपा द्वारा जारी दिनांक 27
	settlement of rights, in terms of the	02.2017 का वन अधिकार मान्यता से संबंधित
	Scheduled Tribes and Other Traditional	प्रमाण पत्र संलग्न है।
(xvi)	Forest Dwellers (Recognition of Forest	(अन्लग्नक— 18)
	Rights) Act, 2006, if any, has been	,
	completed in accordance with the Guidelines	
	issued by the MoEF&CC in this regard;	
	The User Agency shall submit six monthly	
(xxvii)	self-compliance reports as on 1st January	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है।
(AATH)	and 1st July of every year to this office as	(अनुलग्नक—18A)
	well as to the Nodal Officer of the State;	
	The State Government shall monitor	शर्त का पालन वन विभाग से संबंधित है जिसका
(xxviii)	compliance of conditions of Forest	पालन किया जायेगा। आवेदक विभाग द्वारा वन
	Clearance and shall submit in this regard	विभाग को इस कार्य हेत् सहयोग किये जाने का

	yearly report as on 31 <sup>st</sup> December of every year;	प्रमाण पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक—18B)
(xxix)	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है। (अनुलग्नक—19)
(xxx)	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project; and	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है। (अनुलग्नक—20)
(xxxi)	Grant of working permission to the extant proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CC's Guidelines dated 28.08.2015.	टीप किया गया।

उपरोक्तानुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के प्रतिवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण में

अंतिम चरण स्वीकृति जारी किये जाने का कष्ट करें।

संलग्न :--

समस्त संलग्नक वचन पत्र, प्रत्याशा मूल्य गणना पत्रक तथा वेब जेनरेटेड भूगतान पत्रक

> (एस.एस. बजाज) अ.प्र.मु.व.स (भू — प्रबंध / व. सं. अ) छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479—142/*९) ५* प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

रायपुर, दिनांक 🌿 /02/2018

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर। संलग्नः—उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (उत्पादन), छत्तीसगढ।

3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (मा.स.वि/सू.प्रौ), छत्तीसगढ़। इस पत्र को तथा संदर्भ—1 के पत्र को वेबसाईट पर अपलोड कराकर सूचित करने का अनुरोध है।

संलग्नः-संदर्भ –1 की छायाप्रति

4. **मुख्य वन संरक्षक**, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

वन मंडलाधिकारी, जांजगीर—चांपा वन मंडल, जांजगीर—चांपा, छत्तीसगढ़।

— लीनियर प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के गाइडलाईन दिनांक 28.08.2015 के अंतर्गत प्रथम चरण स्वीकृति में जारी शर्तों की पालन के शर्त पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 20.02.2018 के अनुक्रम में सीमांकन कार्य आवेदक संस्थान के व्यय पर किये जाने की शर्त पर वन मंडलाधिकारी, जांजगीर—चांपा वन मंडल को 537 वृक्षों के विदोहन एवं परिवहन कार्य के लिए राशि 7,08,233/— रूपये पी.डी. खाते से आहरण की एवं कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की जाती है। यह कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित जॉबदर एवं निर्धारित नाम्स्र के अधीन कराया जायेगा। यह अनुमित एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी।

6. **Director**, Chhattisgarh WR Transmission Limited, C-105, Samhav Building Judges Bungalow Road, Bodakdev, Ahmedabad – 380015

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व. सं. अ) १८ छत्तीसगढ़



## कार्यालय प्रधान मुख्य वैन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नया रायपुर — 492002 (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक — भू—प्रबंध)

दूरभाषः ०७७१ – २५१२८४०

ई — मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-142/ 1595

रायपुर, दिनांक**2.5**/05/2018

प्रति.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

भारत सरकार — पूर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय — वेस्ट सेन्ट्रल रीजन ईस्टर्न विंग — भू तल, न्यू सेक्रेटेरियेट भवन VCA के सामने, सिविल लाईन नागपुर — 440001

Sub:

Diversion of 22.182 Ha. of Forest Land in favour of Director, Chhattisgarh WR Transmission Limited for construction of 765 KV S/C Champa – Dharamjaygarh Transmission line under The Forest Conservation Act 1980 in Janjgir and Baloda District in the State of Chhattisgarh.

— पंजीयन क्रमांक/ FP/CH/TRANS/18820/2016

संदर्भः 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक FC-II/CH-69/2017-NGP/ 3442 दिनांक 21.03.2018

2. वन मंडलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वन मंडल का पत्र क्रमांक/ तक अधि/2745 दिनांक 14.05.2018

-0-

संदर्भित पत्र — 1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर द्वारा 3 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी।

संदर्भित पत्र – 2 के माध्यम से वन मंडलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वन मंडल द्वारा बिन्दुवार जानकारी प्राप्त हुई है, जो निम्नानुसार है:-

क्र	बिन्दु क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
1	Scheme for creation and maintenance of plantation dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line along with the details of financial provisions for its implementation, it accordance with the condition no (xxiv) (d) of stage-1 approval has not been submitted along with the compliance report. The same needs to be submitted along with details of financial provision and status of deposition of the same into the Ad-hoc CAMPA through e-challan.	औषधी वृक्षारोपण योजना तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। रूपये 22,88,413/—परियोजना व्यय मांग अनुसार राशि आवेदक संस्थान द्वारा ई—चालान के माध्यम से कैम्पा खाते में जमा किया गया है (परिशिष्ठ-एक)। औषधीय वृक्षारोपण योजना संलग्न है (परिशिष्ठ-दो)।
2	Comments of the PCCF (Wildlife) on the impact of the project on the schedule-I species and recommendations, if any, suggested by the PCCF (Wildlife), in compliance to condition no (xvii) of there stage-I approval has not been submitted along with the compliance report.	वन मंडलाधिकारी, जांजगीर—चांपा वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार 765 के. व्ही सींगल परिपथ चांपा—धरमजयगढ़ विद्युत पारेषण लाईन के प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि. मी की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या

		हाथी कारीडोर एवं विशेष प्रकरण की वन्य प्राणी प्रजाति विशेषतः (Schedule-1 species) स्थित अथवा प्रस्तावित नहीं होने के कारण उक्त विषय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) की अभिमत की आवश्यकता नहीं है।
3.	An plan involving financial provisions of Rs. 16,60,000/- has been prepared for creation of atternate habitat for the avifauna in case the plan will be implemented. The amount may be deposited into Ad-hoc CAMPA through r-challan and compliance of the same shall be intimated to be Regional Office.	पक्षियों के कृतित्रम घोसले निर्माण एवं स्थानांतरण हेतु विस्तृत जानकारी एवं क्रियान्वयन एम.एस. बायोडार्वरसीटी ऑफ छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा किया जावेगा। जिसका सर्विस ऑडर रिपीट संलग्न है, जिसकी राशि रूपये 16,60,000/— आवेदक संस्थान द्वारा उक्त सींसायटी को समय—समय पर प्रदाय किया जायेगा (परिशिष्ठ—तीन)। अतः परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उपसंचित राशि कैम्पा खाता में जमा किया जाना संभव नहीं है।

कृपया उपरोक्तानुसार वन मंडलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वन मंडल से प्राप्त जानकारी को मान्य करते

हुए प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति जारी करने का अनुरोध है। संलग्न:- परिशिष्ठ-एक दो एवं तीन की छाया प्रति

> (एस. एस. बजाज) अ.प्र.मु.व.स (भू—प्रबंध /वं. स. अ) छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-142/1596 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

रायपुर, दिनांक 25/05/2018

- 1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- 2. वन मंडलाधिकारी, जांजगीर—चांपा वन मंडल, जांजगीर—चांपा, छत्तीसगढ़।
- 3. **Director**, Chhattisgarh WR Transmission Limited, C-105, Samhav Building Judges Bungalow Road, Bodakdev, Ahmedabad 380015.

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. सं. अ) ०/८ छत्तीसगढ़